

फर्द अहकाम

रीय लोक अदालत बैच :- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायाधीश मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
न्यायालय :- सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मुण्डावर (जिला अलवर) राजस्थान


दिनांक

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

ओमेश बनाम निसिन
प्रकरण संख्या २०२१/२२

11-०५-२३ प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैच के समक्ष रखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण नोट प्रेस कर लिया है। पक्षकार अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता/चाहते है अतः प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर फैसल करने की अनुशंघा की जाती है।



सदस्य

राष्ट्रीय लोक अदालत


अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

13/2/23

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत बैच से प्राप्त हुआ।...वादी अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता है। अतः...वादी पत्र अन्तर्गत धारा ४४(१) नोट प्रेस के आधार पर नोट प्रेस स्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जमा अभिलेखागार हो। सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०

फर्द अहकाम

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच :- अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायाधीश मुण्डावर, जिला अलवर, राजस्थान।
न्यायालय :- सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक, मुण्डावर (जिला अलवर) राजस्थान

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

दिनांक

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए


.....^{ओमेश}..... बनाम.....^{निसिन}.....
प्रकरण संख्या^{163/22}.....

11/02/23

प्रकरण आज राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष रखा गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रकरण नोट प्रेस कर लिया है। पक्षकार अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता/चाहते है अतः प्रकरण नोट प्रेस के आधार पर फैसल करने की अनुशंसा की जाती है।


सदस्य


राष्ट्रीय लोक अदालत


अध्यक्ष 11/02/23

राष्ट्रीय लोक अदालत

13/2/23

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच से प्राप्त हुआ। ~~प्रार्थी~~ अब प्रकरण को चलाना नहीं चाहता है। अतः ~~प्रार्थी~~ पत्र अन्तर्गत धारा ~~227~~ नोट प्रेस के आधार पर नोट प्रेस स्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जमा अभिलेखागार हो। सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०